पीठासीन अधिकारी :- मुकेश कुमार मीना आर ए एस

मुकदमा नम्बर : 49/2010

उनवानी प्रकरण मुकः कुसुमादेवी पत्नी श्री कालीचरन आयु 35 वर्ष
जाति राजपूत निवासी फरेरा तहसील बाह
जिला आगरा (U.P) ---- वादिया

बनाम

1- लीलावती पत्नी भगवान सिंह
2- पंचमसिंह } पुत्रगण भगवान सिंह
3- भगवानदास }
} जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बाजना तह० राजाखेड़ा
4- एल० डी० बी० शाखा जरिये प्रबन्धक
5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा
6- छोटी पुत्री भोगी पत्नी रामस्वरूप जाति राजपूत
7- लक्ष्मन सिंह पुत्र लज्जाराम कौम ठाकुर
निवासी ग्राम छत्तापुरा तहसील खेरागढ़
जिला आगरा (उ०प्र०)
---- प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 R T Act

उपस्थितिः- 1- श्री अश्विनी कुमार जैन एड, वकील वादिया
2- श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव, वकील प्रतिवादीगण
3- श्री विमल कुमार शर्मा एड० वकील प्रति० 4

निर्णय दिनांकः- 8-7-2019

वादिया द्वारा यह वाद इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर०टी० एक्ट इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि विवादित आराजी ख० नं० 1016 रकबा 0 बीघा 03 बिस्वा एवं ख० नं 1019 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा स्थित ग्राम बाजना तहसील राजाखेड़ा में वादिया 1/2 भाग की खातेदार काश्तकार है तथा इसी हैसियत से मौके पर काबिज होकर काश्त करती है। यह आराजी वादिया ने सामिल खातेदार प्रतिवादी सं० 1 से क्रय कर्ता लक्ष्मनसिंह पुत्र लज्जाराम ठाकुर निवासी छत्तापुरा तहसील खेरागढ़ से बिल एण्ड 1,22,000/-रु में क्रय कर वास्तविक कब्जा प्राप्त किया था, विक्रय पत्र दिनांक 15-01-01 को निष्पादित किया गया था

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

...र काश्त करती आ रही है।

वादिया दिनांक 20-3-08 के बाद क्रय शुदा 1/2 हिस्सा पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रही है तथा फसल का लाभ उठा रही है वादिया के हक में विक्रय पत्र लक्ष्मन सिंह ने अपने हि. 1/2 का विक्रय पत्र दिनांक 20-3-08 को विक्रय किया था। वादिया ने उसी समय में विक्रय पत्र दाखिल हेतु पटवारी हल्का को सौंप दिया था, बाद को उसने मूल विक्रय पत्र यह कहकर वापिस लौटा दिया कि मुताबिक Sale Deed राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण खोल दिया है वादिया एक अनपढ़ औरत है वह इसी सद्भावना में बनी रही। दावा दायरी से करीब 15 दिन पूर्व जब वह अपने खेतों में गयी तो प्रतिवादिया सं. 1 ने अपने पुत्रो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के समक्ष वादिया को धमकी देकर कहा कि इन विवादित खेतों में तेरा कुछ नहीं है। मेरे व मेरे पुत्रो के नाम अभी भी जमीन चली आ रही थी, इसलिए मैंने यह जमीन पुनः किसी लेने वाले को बेच दी है। जब वादिया ने कहा कि तू तो पहले ही अपने हकूक को बेचान कर चुकी है। तेरा कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐठ कर बोली कि अभी तक खाते में मेरा ही नाम चल रहा था। मैंने तो नाम के आधार पर पुनः Subsequent Sale कर दी, तब वादिया को आश्चर्य हुआ। तब वादिया ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उसने उसे जाहिर किया कि इस खाते में तो तुम्हारा नाम नहीं चल रहा है। बल्कि प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा पर एवं प्रतिवादी सं. 6 का 1/2 हिस्सा पर नाम चल रहा है। अब हम तुम्हारा नाम इस प्रथम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नहीं कर सकते हैं। तब वादिया प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पास गयी एवं उनसे गलत इन्द्राजात की दुरुस्ती बाबत कहा एवं वाजिब तौर पर खाता अलग करने का कहा तो इन्कारी हो गये। तब वादिया द्वारा अपने हकूक की सुरक्षा हेतु न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत किया है तथा दावा के अन्त में खसरा का विवादित आराजी में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने, खाता एवं लगान पृथक करने तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कथन करते हुए दावा डिक्री करने बाबत निवेदन किया।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपना जवाब दावा पेश किया। जिसमें उनके द्वारा वादपत्र के कथनों से सामान्य रूप से इन्कार करते हुए कथन किया है कि वादपत्र के तथ्य मनगढ़न्त व गलत है स्वीकार नहीं है। वादिया का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। लक्ष्मनसिंह द्वारा लज्जाराम के हक में किया गया बेचनामा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः

तारीखी 15-01-2001 फर्जी एवं कूटरचित है। लज्जमनसिंह द्वारा किये गये बयनामा से वादिया को कोई हकूक हासिल नहीं होते है। वादिया द्वारा यह दावा हमें हैरान व परेशान करने के लिए किया गया है। मौके पर प्रतिवादीगण ही काबिज है, वादिया का कब्जा नहीं है, इसलिए दावा पोषणीय नहीं है, काबिल खारिजी है इसलिए ~~काबिल~~ खारिज किया जावे।

प्रतिवादी सं 4 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया है जिसमे बैंक के हितों की सुरक्षा हेतु निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। प्रतिवादी सं.5 की ओर तरतीबी प्रतिवादी होने के कारण कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

तदुपरान्त प्रकरण मे निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गयी:-

1- आया विवादित आराजी मे वादिया हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार है एवं काबिज है। जिसके हकूक उसने साबिक खातेदार लक्ष्मण सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20-3-2008 को क्रय किये है। ---- वादिया

2- आया क्रय शुदा विवादित आराजी का मुताबिक विक्रय पत्र अंकन नहीं होने के कारण पुनः साबिक विक्रेता लीलावती वगै के नाम के अंकन हो गये है जो अवैध है एवं काबिल दुरुस्ती है। ---- वादिया

3- आया विक्रय पत्र दिनांक 15-01-2001 लीलावती वगैरह लक्ष्मन सिंह फर्जी कूटरचित है। ---- प्रति०

4- आया विवादित आराजी पर वादिया का कब्जा नहीं है अतः कब्जे के अभाव मे वाद पोषणीय नहीं है। ---- प्रति०

5- अनुतोष

साक्ष्य वादीया मे दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम बाजना संम्वत 2062-2065 प्रदर्श-P1, असल विक्रय पत्र ... लीलावती वगैरह लक्ष्मनसिंह पुत्र लज्जाराम वगैरह को दिनांक 15-0... प्रदर्श-P-2, असल विक्रय पत्र द्वारा लक्ष्मन सिंह पुत्र लज्जाराम वगैरह श्रीमति कुसुमादेवी पत्नी कालीचरन वगैरह को दिनांक 20-3-2008 प्रदर्श पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य में, बयान कुसुमा देवी PW-...

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

प्रक...
...पर को...

कराया गया। साक्ष्य प्रतिवादी मे मौखिक साक्ष्य में बयान भगवान दास DW-1 एव बयान गवाह बसन्त एव बनवारीलाल PW-2 कराये गये। प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य मे, नकल निर्णय व डिग्री अनवानी धोरी प्र0 पंचम तारीख निर्णय 28-10-2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा एव नकल निर्णय व डिग्री अनवानी धोरी प्र0 भगवान दास निर्णय दिनांक 14-3-2006 न्यायालय SDO राजाखेडा पेश की है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष सुनी गयी। वकील वादिया द्वारा अपनी बहस मे अपने वादपत्र के समस्त कथनो को दोहराया तथा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से दावा पूरी तरह साबित होना बताया एव यह कथन किया कि एक बार जब प्रतिवादी सं. 1 लीलावती ने अपने हिस्से के हकूक जरिये पंजीवद्ध बयनामा के लक्ष्मन सिंह के हक मे विक्रय कर दिये है तो वह पुनः विक्रय कैसे कर सकती है। केवल राजस्व रिकार्ड मे वादिया के नाम का इन्द्राज नही होने से वादिया के हकूक समाप्त नही होते है। लीलावती द्वारा इस आराजी का जो पुनः विक्रय किया है वह अवैध है एव शून्य है उससे वादिया को उसके अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। वादिया का कब्जा बयनामा मे लिखा है इसलिए कब्जा माना जावेगा। प्रकरण धोरी प्र0 पंचम एव धोरी प्र0 भगवान दास मे वादिया को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए उन प्रकरणो के निर्णय होने पर वादिया के नाम के इन्द्राज नही हो सके है। वादिया को 1/2 हिस्से के बाबत बजरिये बयनामा दिनांक 20-3-2008 के आधार पर घोषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन मे उन्होने RBJ-2002 पृष्ठ 256, 242, TP Act धारा 52, की कानूनी नजीरें पेश की।

बहस विद्वान अभिभाषकगण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे अपने जवाबदावा के समस्त कथनो को दोहराया तथा कथन किया कि वादिया का मौके पर कब्जा नही है इसलिए दावा चलने योग्य नही है। दिनांक 15-1-2001 को लक्ष्मन सिंह के हक मे किया गया बयनामा कूट रचित एव फर्जी है इसलिए वादिया को विवादित आराजी मे कोई हकूक प्राप्त नही होते है। वादिया को अपना केस साबित करना चाहिये। विवादित आराजी के सम्बन्ध मे वादिया द्वारा आराजी क्रय करने के समय धोरी प्र0 पंचम चल रहा था। वादिया को इसका पता था

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

फिर भी वादिया ने सबकुछ जानते हुए विवादित आराजी का क्रय किया था। तथा वादिया द्वारा प्रभावित पक्षकार व संरक्षक को पक्षकार नहीं बनाया है न ही उसे सूचित किया गया है। इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है काबिल खारिजी है इसलिए खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा RRD 1989 पृष्ठ 48, RRD 1987 पृष्ठ 11, RRD 1995 पृष्ठ 318 की कानूनी नजीरें पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष पर मनन किया। इस प्रकरण में अंतिम एवं विस्तृत तथा प्रभावी निर्णय के लिए इस प्रकरण से सम्बन्ध रखने वाली पत्रावलियां- प्र.सं. 14/14 छोटी vs भगवानदास निर्णय दिनांक 14-3-2016 तथा प्रकरण संख्या 74/2006 छोटी vs पंचमसिंह निर्णय दिनांक 28-1-2008 का भी अवलोकन किया गया। तनकीवार विवेचन एवं निर्णय निम्न प्रकार से है:-

<u>तनकी नम्बर-1</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-2 बयनामा में लीलावती प्रतिवादी सं.1 द्वारा विवादित आराजी में से अपना हिस्सा पूर्ण 1/2 प्रतिवादी सं.7 लक्ष्मनसिंह पुत्र लज्जाराम के हक में दिनांक 15-1-2001 को विक्रय किया है एवं उसी दिन कब्जा दिया जाना का अंकन हो रहा है। इस बयनामा के आधार पर, नकल जमाबन्दी सं. 2062-2065 प्रदर्श-1 में नामा० सं 1072 बेचान 14-6-2006 से लीलावती हि० 1/2 के स्थान पर लक्ष्मनसिंह पुत्र लज्जाराम हि० 1/2 साकिन छत्रपुरा तह खेरागढ़ के नाम खारिजी का इन्द्राज दर्ज किया गया है। इसके बाद, विक्रय पत्र तारीखी 20-3-2008 प्रदर्श-3 से लक्ष्मनसिंह पुत्र लज्जाराम ने विवादित आराजी हिस्सा 1/2 को वादिया कुसुमा देवी पत्नी कालीचरन हक में विक्रय कर दिया है। दोनों ही दस्तावेज पंजीबद्ध विक्रय पत्र है इसलिए इन्हें जब तक झूठा साबित नहीं कर दिया जाए, झूठा एवं फर्जी नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त दस्तावेजों से यह भली भांति साबित होता है कि वादिया ने विवादित आराजी में से लीलावती के हिस्से वाले 1/2 भाग को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय किया है एवं बयनामे वाले दिन ही मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। वादिया के अनपढ होने

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

अथवा उसकी नासमझी से अथवा किसी अन्य कारण वश बयनामा तारीखी 20-3-2008 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाया था। इसी दरम्यान इस न्यायालय में विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक और राजस्व वाद प्र.सं. 75/2006 धारा 88 पंचम विचाराधीन था। इस प्रकरण में वादिया कुसुमा देवी एवं लक्ष्मणसिंह प्रतिवादी सं. 7 पक्षकार नहीं थे। प्रकरण लीलावती के नाम की जमाबन्दी के आधार पर ही चल रहा था। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 28-01-2008 को निर्णय पारित कर विवादित आराजी में से प्रकरण की वादिया छोटी को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर ख.नं. 1016/3.03, 1017/0.02, 1019/1.19 स्थित ग्राम बाजना में पंचम सिंह, भगवान दास पि. भगवान सिंह हिस्सा 1/4 व लीलावती पत्नी भगवान सिंह हि 1/4 दर्ज रहने के आदेश दिये गये थे। इस प्रकार न्यायालय की डिक्री दिनांक 28-01-2008 से विवादित आराजी में लीलावती के स्वत्व को 1/2 के स्थान पर 1/4 कर दिया गया था और इसी डिक्री के आधार पर, लीलावती प्र.सं.-1 के बाद का पुनः राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज कर दिया गया था चूंकि प्रकरण में लक्ष्मण सिंह एवं कुसुमादेवी पक्षकार नहीं थे। इस प्रकार लीलावती के विवादित आराजी में केवल 1/4 हिस्से का स्वत्व विधिक है एवं केवल 1/4 हिस्से का बयनामा ही वैध माना जावेगा। शेष 1/4 हिस्से के सम्बन्ध में बयनामा शून्य माना जावेगा। अतः वादिया कुसुमा देवी विवादित आराजी में 1/4 हिस्से पर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 20-3-2008 स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवा पाने की अधिकारी है तथा काबिज कायम साबित होती है। यह तनकी बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर-2 इस तनकी को साबित करने का भार भी वादिया पर है। तनकी नम्बर 1 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण सं 75/2006 धारा 88 पंचम में कुसुमा देवी एवं लक्ष्मण सिंह के पक्षकार न होने के कारण इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 28-01-2008 से वादिया द्वारा क्रय शुदा आराजी पर मुताबिक विक्रय पत्र राजस्व रिकार्ड में अंकन न होने के कारण साबिक विक्रेता लीलावती वगै. के नाम के पुनः अंकन हो गये है।

क्रमशः....7

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

जो अवैध है एवं काबिल अखराजी है। क्योंकि लीलावती पूर्व में ही अपना हिस्सा विक्रय पत्र तारीखी 15-01-2001 से लक्ष्मन पुत्र श्री लखपतराम को बेच चुकी थी, इसलिए पुनः राजस्व रिकार्ड में उसके नाम का इन्द्राज विधिक नहीं है एवं काबिल अखराजी है। प्रकरण में वादिया यह कहकर आयी है कि लीलावती एवं उसके पुत्रों ने पुनः नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए यह आराजी किसी लहु वाले व्यक्ति को पुनः विक्रय कर दी है जो subsequent sale की श्रेणी में आता है। पुनः विक्रय किसी भी दृष्टि से मान्य नहीं है। यह अपराध की श्रेणी में आता है। प्रकरण संख्या 14/14 दोयी बनाम भगवानदास निर्णय दिनांक 14-3-2016 की पत्रावली में संलग्न नामान्तरण सं. 2066-2069 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि लीलावती द्वारा अपने 1/4 हिस्से के इकजाई जरिये बयनामा पुनः वसन्तकुमार पुत्र बनवारी लाल को बेच दिये हैं क्योंकि नामान्तरण में नामा.सं. 1251 दिनांक 21-5-2010 से इसका इन्द्राज हो रहा है। ऐसे क्रय से श्री वसन्तकुमार को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि जब विक्रेता के स्वत्व दूषित है तो क्रेता के स्वत्व स्वतः ही दूषित हो जाते हैं। वसन्त कुमार द्वारा इस प्रकरण में बयान दिया गया है बतौर गवाह, लेकिन वह पक्षकार नहीं बना है। यदि उसे अपने हितों की सुरक्षा हेतु कोई पक्ष रखना होता तो अवश्य पक्षकार बनता इससे यह भली भाँति जाहिर होता है कि उसने सब कुछ जानते हुए आराजी का क्रय किया है जो प्रभावी नहीं है। अतः यह तनकीह भी बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकीह नम्बर-3 :- इस तनकीह को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इसके हित में स्वयं का बयान दिया है एवं गवाह बसन्त कुमार का बयान कराया है। दोनों के हित विवादित आराजी से जुड़े हुए हैं इसलिए किसी के बयान के आधार पर बयनामा तारीखी 15-01-2001 को फर्जी नहीं माना जा सकता है। एक पंजीबद्ध बयनामे को जब तक न्यायालय द्वारा फर्जी अथवा कूटरचित साबित नहीं कर दिया जाता तब तक उसे फर्जी नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह तनकीह बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकीह नम्बर-4 :- इस तनकीह को साबित करने का भार

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः ----- 8

प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इसको साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एव न ही किसी स्वतंत्र गवाह का बयान ही कराया है। वादिया द्वारा अपने हक मे कराये गये वयनामा तारीख 20-3-2008 प्रदर्श-3 मे यह स्पष्ट अंकन है कि मौके पर हैसियत असल मालिक के हि. 1/2 पर काबिज करा दिया है। जिससे विवादित आराजी पर वादिया का कब्जा साबित होता है। अतः यह तनकी भी वहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

__अनुतोष__ :- उपरोक्त तनकीवार विवेचन/निर्णय के आधार पर हम दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है। चूंकि लीलावती का स्वत्व केवल 1/4 हिस्से पर ही वैध है इसलिए हम दावा आंशिक रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। प्रकरण संख्या 14/14 धोरी पुत्र भगवानदास निर्णय दिनांक 14-3-2016 मे जरिये निर्णय विवादित आराजी का ख.न. $\frac{1016}{3-03}$ एव ख.न. $\frac{1019}{1-19}$ का बटवारा किया जा चुका है तथा उक्त खसरा नम्बरो के $\frac{1016/1}{0-11}$ व $\frac{1016/2}{0-12}$ व $\frac{1019/1}{0-01}$ व $\frac{1019/2}{0-19}$ दो-दो बटा नम्बर कायम हो चुके है। लीलावती द्वारा बेचा गया हिस्सा बसन्त कुमार के हिस्से मे आये खसरा नम्बर $\frac{1016/2}{1-12}$ एव $\frac{1019/2}{0-19}$ के हिस्से 3/4 मे शामिल है। इसलिए कुसुमादेवी वादिया को भी अपना हिस्सा बसन्तकुमार के हिस्से मे से ही प्राप्त होगा।

अतः आदेश है कि दावा वादिया आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.न. $\frac{1016}{3-03}$, $\frac{1019}{01-19}$ स्थित ग्राम बाजना तहसील राजाखेड़ा के बटवारा उपरान्त कायम बटा नम्बर $\frac{1016/2}{1-12}$ एव $\frac{1019/2}{0-19}$ स्थित ग्राम बाजना मे वादिया कुसुमा देवी को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड मे बसन्तकुमार पुत्र बनवारी के दर्ज 3/4 हिस्से मे से हिस्सा कम किया जाकर वादिया को 1/2 भाग का तथा बसन्त कुमार को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमश--9

दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 8/7/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
आर. ए. एस
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)